# न्यायालय माध्यस्थम (जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट), जोधपुर

पीठासीन अधिकारी : हिमांशु गुप्ता आई.ए.एस.

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र संख्या : 10 / 2022

| प्रार्थी | बनाम | अप्रार्थी |
|---|---|---|
| 1– धमण्डाराम पुत्र साजनराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>2– जगराम पुत्र खीयाराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>3– बीरबलराम पुत्र सुण्डाराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>4–भंवरलाल पुत्र मंगलाराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>5– भागीरथराम पुत्र साजनराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>7– रामलाल पुत्र साजनराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>8– रामस्वरूप पुत्र खीयांराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>9– धमण्डाराम पुत्र साजनराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>10– श्रवणराम पुत्र मंगलाराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>11– शिवराम पुत्र खीयांराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर<br>12– हड़माराम पुत्र सुण्डाराम विश्नोई निवासी ग्राम सिरमण्डी तहसील ओसियां, जिला जोधपुर | | 1– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, औसियां जिला जोधपुर।<br>2– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण पता, 188 उम्मेद हेरिटेज, रातानाडा जोधपुर (राजत्र)<br>3– तहसीलदार औसियां, जिला जोधपुर (राजत्र.<br>4– भारत सरकार जरिये उप सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, नई ज्ल्लिी। |

माध्यरथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग प्रांधिकरण अधिनियम, 1956 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवरथापन में उचित प्रतिकर और प्रारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 में पारित भूमि अवाप्ति का अवार्ड दिनलांक 20.09.2019 पारित द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर एवं नोटिस दिनांक 13..11.2019 में वर्णित खसरा नम्बर 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर ग्राम सिरमण्डी पटवार क्षेत्र सिरमण्डी भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र खाबड़ा खूर्द का रेकर्ड दुरस्त कर उक्त खसरा की भूमि को राजमार्ग जोधपुर से फलोदी 0 से 100 मीटर की दूरी का घोषित करने एवं उक्त अनुसार डीएलसी दर का निर्धारित करते हुए नियमानुसार मुआवज़ा दिलाने हेतु।

**उपस्थिति**

**आदेश दिनांक : 03 .07.2023**

**1– श्री सांगाराम. चौधरी अधिवक्ता (प्रार्थीपक्ष )**

**2– श्री लादुराम पूनीया अधिवक्ता (अप्रार्थीपक्ष–2)**

# पंचाट

भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के आदेश क्रमांकः NHAI/LA/Arb./2015 दिनांक 13.08.2015 के द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का संख्याक 48) की धारा 3G की उपधारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जोधपुर जिले की स्थानीय सीमा में जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जोधपुर को माध्यस्थम् (ARBITRATOR) नियुक्त किया गया है।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र के तथ्य संक्षिप्त में इस प्रकार है कि भारतमाला परियोजना (लॉट–4/पेकेज–6 ) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर–कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 754क के 261.743 किमी से 349.773 किमी (औसियां) तक (चार लेन मय पेव्ड शोल्डर) के निर्माण हेतु ग्राम सिरमण्डी तहसील औसियां जिला जोधपुर स्थित विभिन्न खसरों की भूमि के साथ खसरा नम्बर 2420 रकबा 0.09385 हेक्टर भूमि को भारत सरकार के द्वारा अवाप्त करने के आशय की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 एवं 3(डी) की अधिसूचना दिनांक 24.06.2019 का प्रकाशन भारत के राजपत्र में किया गया एवं स्थानीय समाचार पत्र यथा राजस्थान पत्रिका एवं दैनिक भास्कर जोधपुर संस्करण में प्रकाशन करवाया गया तथा हितबद्ध व्यक्तियों से आपत्तियां/एतराज आंमत्रित किये गये। उक्त भूमि के संबंध

**कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट**
**जोधपुर**

में प्रार्थीपक्ष ने अपनी खातेदारी की होने एवं भूमि की प्रकृति सिंचित थी तथा भूमि राज्य मार्ग से 0 से 100 मीटर की दूरी का खसरा मानते हुए अवाप्ति का अवार्ड निर्धारित किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2018 को प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 20.09.2019 को भूमि अवाप्ति मुआवजा रोड़ से 100 से 200 मीटर तक असिंचित भूमि मानते हुए मुआवजा का निर्धारण किया गया । प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.नं. 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर की भूमि को राज्य मार्ग जोधपुर से फलोदी 0 से 100 मीटर की दूरी का सिंचित घोषित करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवॉर्ड आदेश दिनांक 20.09..2019 में मुआवजा संशोधन करने की प्रार्थना की।

आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर ( 10/2022 ) कर अप्रार्थीपक्ष को नोटिस जारी किये गये। अप्रार्थीपक्ष–2 की ओर से अधिवक्ता श्री लादुराम पूनीया ने उपस्थित होकर वकालतनामा प्रस्तुत किया। अप्रार्थीपक्ष–4 का नोटिस रजिस्टर्ड भिजवाया गया जिसकी डिलीवर्ड होने की ट्रेक रिपोर्ट प्राप्त हो चुकी है। अप्रार्थी–3 का नोटिस भी बाद तामील लौटा। अप्रार्थी–1 को नोटिसेज दो तीन बार प्रेषित किये गये, परन्तु बाद तामील या अदम तामील नहीं लौटे तथा अप्रार्थीपक्ष–2 का कथन है कि उक्त प्रकरण में अप्रार्थी–1 से रिपोर्ट प्राप्त कर ली है अतः अब नोाटिस पुनः जारी करना आवश्यक नहीं बताते हुए प्रकरण का निस्तारण करने का निवेदन किया।

अप्रार्थीपक्ष–2 की ओर से दिनांक 01.06.2022 को जबाब पेश हुआ, जो रिकॉर्ड पर लिया गया। अप्रार्थीपक्ष की ओर से जबाब में प्रार्थना पत्र के पद संख्या 1 में उल्लेखित तथ्य सही होना स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र के पद सं0–2 में ग्राम सिरमण्डी के खसरा नम्बर 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर सिंचित कृषि भूमि वर्णित तध्थ्य गलत होना बताया गया। मौके पर भूमि असिंचित स्थिति में थी तथा ख.नं. 2420 की डीएलसी में सड़क पर सिथत खसरों की सूचि में उसका उल्लेख नहीं है अतः उक्त खसरा को 100 से 200 मीटर के भीतर स्थित असिंचित की दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है जो उचित व सही होना कहा ।

जबाब में प्रार्थना पत्र के आधार सं0–1, 2, 3, 4 व 5 में उल्लेखित तथ्या पूर्णतया गलत होना बताया। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र उनकी कृषि भूमि 2420 को राज्य मार्ग से 0 से 100 मीटर की दूरी आने वाली भूमि के तहत मुआवजा निर्धारण करने हेतु गलत प्रस्तुत किया जाना बताया गया तथा इसका मुआवजा निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित डीएलसी सूची में दर्ज खसरा सं0 को देखते हुए निर्धारित किया है जो पूर्णतया सही है। जबाब के अन्त में प्रार्थना पत्र निरस्त करने की प्रार्थना की।

प्रार्थीपक्ष की ओर से निम्नलिखित दस्तावेज की प्रतियां पेश हुई।

न्यायालय जिला कलक्टर जोधपुर (राज.)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

1– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा भूमि अवाप्ति मुआवजा निर्धारण अवॉर्ड आदेश दिनांक 20.09.2019 पारित, की प्रमाणित प्रति।

2– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जोधपुर को लिखा गया पत्रांक 369–370 दिनांक 21.09.2019 की फोटो प्रति।

3– सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा प्रार्थीगण को धारा 3ई व 3एच के अन्तर्गत दिये गये नोटिस दिनांक 13.11.2019 की फोटो प्रति।

4– ग्राम सिरमण्डी तहसील औसियां की डीएलसी रेट दिनांक 18.06.2019 की फोटो प्रति।

5– ग्राम सिरमण्डी तहसील औसियां की जमाबदी सम्वत् 2073–2076 खाता सं0 175 की फोटो प्रति।

6– सक्षम प्राधिकारी(भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां जिला जोधपुर द्वारा भूमि अवाप्ति मुआवजा निर्धारण अवॉर्ड आदेश दिनांक 01.03.2019 के बाबत् दिये गये नोटिस क्रमांक दिनांक 13.11.2019 की फोटो प्रति।

7– प्रार्थी द्वारा भूमि अवाप्ति अधिकारी को लिखा पत्र दिनांक 15.06.21 की फोटो प्रति।

8– ग्राम सिरमण्डी की खसरा गिरदावरी सम्वत् 2069, 2070, 2071, 2072 की फोटो प्रति।

9– प्रार्थीगण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) को दिनांक 08.03.2022 को दिये गये प्रार्थना पत्र की प्रति।

10– तहसीलदार औसिया द्वारा उपखण्ड अधिकारी औसियां को भेजा गया पत्रांक/राजस्व/2023/283 दिनांक 16..03.2023 मय मौका फर्द की प्रति।

11– सक्षम प्राधिकारी ( भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां का पत्रांक अचाप्ति/भारतमाला/2023/24 दिनांक 17.03.2023 जो परियाजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, 188 उम्मेद हेरीटेज जोधपुर को लिखा गया, की फोटो प्रति।

12– परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जोधपुर को पत्रांक 3069 दिनांक 16.12.2022 जो उपखण्ड अधिकारी औसियां को लिखा गया, की फोटो प्रति।

जिला कलक्टर न्यायालय जोधपुर

**कलैक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट**
**जोधपुर**

13— शपथ पत्र श्री भंवरलाल पुत्र मंगलाराम विश्नोई नि0 ग्राम सिरमंडी

14— शपथ पत्र श्री हड़मानराम पुत्र सुण्डाराम विश्नोई नि0 ग्राम सिरमंडी अप्रार्थीपक्ष—2 की ओर से कोई दस्तावेज पेश नहीं हुए।

प्रार्थीपक्ष की ओर से दिनांक 28.04.2023 को लिखित बहस पेश हुई। अपार्थीपक्ष के अधिवक्ता की बहस भी सुनी गई।

प्रार्थीपक्ष की ओर से प्रस्तुत बहस में बतलाया कि भारतमाला परियोजना (लॉट—4 / पेकेज—6 ) के अन्तर्गत इकॉनोमिक कॉरिडोर अमृतसर—कांडला परियोजना के राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 754क के 261.743 किमी से 349.773 किसी (औसियां) तक (चार लेन मय पेव्ड शोल्डर ) के निर्माण हेतु ग्राम सिरमण्डी तहसील औसिययां जिला जोधपुर स्थित विभिन्न खसरों की भूमि के सम्मिलित खसरा नम्बर 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर भूमि को भारत सरकार के द्वारा अवाप्त करने के आशय .की घोषणा हेतु धारा 3ए, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 के तहत अधिसूचना दिनांक 31.01.2019 को जारी की गई तथा उक्त अधिसूचना के अनुसरण में दिनांक 20.09.2019 को अंतिम अवॉर्ड पारित किया गया। बहस में आगे बतलाया कि ग्राम सिरमंडी के खसरा नम्बर 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर भूमि को राज्य मार्ग से 100 मीटर से दूर की असिंचित भूमि वर्णित करते हुए अवार्ड पारित किया, जबकि खसरा नम्बर 2420 की उक्त भूमि राज्य मार्ग जोधपुर से फलोदी पर 0 से 100 मीटर की दूरी में आती है तथा सिंचित कृषि भूमि है। बहस में यह भी कहा कि उक्त कृषि भूमि वर्तमान में जोधपुर—फलोदी राजमार्ग के दोनों तरफ स्थित है तथा राजमार्ग प्रार्थीगण की उक्त भूमि के मध्य से गुजरता है तथा कृषि भूमि ख.नं. 2420 में से 4.6 बीघा कृषि भूमि वर्ष 2012 में अवाप्त हुई थी, उसीं समय ख.नं. 2426 व 2418 की भूमि भी अवाप्त हुई थी तथा ख.नं. 2418 व 2426 की डीएलसी का निर्धारण राजमार्ग पर 0 से 100 मीटर तक स्थित होने के आधार पर निर्धारित की गई, परन्तु सहवन से प्रार्थीगण की उक्त कृषि भूमि 2420 जो 2418 व ख.नं. 2426 के मध्य स्थित है तथा सहवन से राजमार्ग से 0 से 100 मीटर की दूरी पर मार्क होने से रह गया। बहस में आगे कहा कि प्रार्थीगण द्वारा पूर्व में दिनांक 27.08.2018 को कार्यालय सक्षम प्राधिकासरी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां के समक्ष भी इस आश्य का प्रार्थना पत्र परस्तुत किया जा चुका है कि प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.नं. 2420 को राजमार्ग से 0 से 100 मीटर उक्त भूमि के संबंध में प्रार्थीपक्ष ने अपनी खातेदारी की होने एवं भूमि की प्रकृति सिंचित थी तथा भूमि राज्य मार्ग से 0 से 100 मीटर की दूरी का खसरा मानते हुए एवं सिंचित भूमि होने से इस अनुसार अवाप्ति का अवार्ड निर्धारित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया जा चुका है परन्तु सक्षम अधिकारी ( भूमि अवाप्ति ) द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की गई जिस कारण प्रार्थीगण उचित अवार्ड के मुआवजा से वंचित हो गये है। बहस में यह भी कहा कि विचारण के दौरान पटवारी हलका सिरमण्डी द्वारा तहसीलदार औसियां को मौका स्थिति एवं राजस्व

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

रिकॉर्ड स्थिति से अवगत कराने बाबत् मौका फर्द दिनांक 13.03..2023 को तैयार कर पेश की गई जिसमें पटवारी द्वारा वर्णित किया कि ग्राम सिरमण्डी के खसरा नम्बर 2420 में से औसियां फलोदी बाई–पास गुजरता है, जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है अर्थात तरमीम नहीं है लेकिन मौके पर ख.नं. 2420 सड़क के निकट है तथा सिंचित है। अवाप्ति का अवार्ड निर्धारित किये जाने का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.09.2018 को प्रस्तुत किया गया। सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां द्वारा बाद सुनवाई दिनांक 20.09.2019 को भूमि अवाप्ति मुआवजा रोड़ से 100 से 200 मीटर तक असिंचित भूमि मानते हुए मुआवजा का निर्धारण किया गया। प्रार्थना पत्र के अन्त में प्रार्थीगण की कृषि भूमि ख.नं. 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर भूमि को राज्य मार्ग जोधपुर से फलोदी 0 से 100 मीटर की दूरी का सिंचित घोषित करते हुए सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) द्वारा अवॉर्ड आदेश दिनांक 20.09..2019 में मुआवजा संशोधन करने की प्रार्थना की।

अप्रार्थीपक्ष के विद्वान अधिवक्ता ने बहस में बतलाया कि ग्राम सिरमण्डी के खसरा नम्बर 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर सिंचित कृषि भूमि वर्णित तथ्य गलत है। मौके पर भूमि असिंचित स्थिति में थी तथा ख.नं. 2420 की डीएलसी में सड़क पर सिथत खसरों की सूचि में उसका उल्लेख नहीं है अतः उक्त खसरा को 100 से 200 मीटर के भीतर स्थित असिंचित की दर से मुआवजा निर्धारित किया गया है जो उचित व सही है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस पर मनन किया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1954 की धारा 3G की उपधारा (7) के अनुसार– The competent authority or the arbitrator while determining the amount under sub-section(1) or sub-section (5), as case may be, shall take into consideration-

(a) the market value of the land on the date of publication of the notification under section 3A;

(b) the demage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the severing or such land from other land;

(c) the demage, if any, subtained by the person interested at the time of the taking possession of the land, by reason of the acquisition injuriously affecting his other immovable property, in any manner, or his earnings;

(d) if, in consequences of the acquisition of the land, the person interested is compelled to change his residence or place of business, the reasonable expenses, if any, incidental to such change.

न्यायालय जिला कलेक्टर जोधपुर (राज.)

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

प्रार्थीपक्ष का मुख्य कथन है कि ग्राम सिरमण्डी के खसरा नम्बर 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर भूमि जोधपुर–फलोदी राजमार्ग पर 0 से 100 मीटर के भीतर स्थित होने एवं भूमि सिंचित होने से उसकी डीएलसी दर के अनुसार मुआवजा निर्धारण होना चाहिए। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत दस्तावेज के अनुसार परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जोधपुर द्वारा ग्राम सिरमंडी के ख.नं. 2420 की मौका रिपोर्ट के संबंध में उपखण्ड अधिकारी औसियां को लिखा गया तथा सक्षम प्राधिकारी ( भूमि अवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी औसियां का पत्रांक अवाप्ति/भारतमाला/2023/24 दिनांक 17.03.2023 जो परियाजना निदेशक, परियोजना कार्यान्वयन इकाई, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग, 188 उम्मेद हेरीटेज जोधपुर को प्रेषित करते हुए स्पष्ट किया कि तहसीलदार औसियां के पत्रांक राजस्व/2023/283 दिनांक 16.03.2023 के अनुसार ग्राम सिरमण्डी के खसरा नम्बर 2420 में से औसियां–फलोदी बाईपास गुजरता है जो कि राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नहीं है अर्थात तरमीम नहीं हो रखी है। रिपोर्ट में मौके पर 2420 खसरे में से मौके पर रोड़ बनी हुई अर्थात् 2420 खसरा सड़क के निकट है। भू–अभिलेख निरीक्षक व हलका पटवारी द्वारा तैयार की गई मोका रिपोर्ट का अवलोकन करने से भी स्पष्ट होता है कि औसियां फलोदी बाईपास ख.नं. 2420 में से गुजरता है, परन्तु रिकॉर्ड में तरमीम नहीं हो रखी है। ख.नं. 2420 सडक के निकट है। तहसीलदार औसियां व उपखण्ड अधिकारी औसियां की उक्त रिपोर्टो से स्पष्ट है कि ग्राम सिरमण्डी स्थित औसियां–फलोदी बाईपास रोड़ के दोनों ओर ख.नं. 2420 की भूमि आई हुई है तथा प्रार्थीगण की ओर से अपने प्रार्थना पत्र में यह भी स्पष्ट किया कि ख.नं. 2420 भूमि में से 4 बीघा 6 बिस्वा भूमि वर्ष 2012 में जोधपुर फलोदी राजमार्ग निर्माण के लिए पूर्व में अवाप्त की गई तथा अपने कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किये गये। अतः पूर्व में भूमि अवाप्त होने के पश्चात् राजस्व कर्मचारियों/अधिकारियों की लापरवाही से राजस्व रिकॉर्ड मे तरमीम नहीं होने से डी.एल.सी. दर की सूची में उक्त ख.नं. 2420 की भूमि रोड़ पर 0 से 100 मीटर तक की सीमा में नहीं बताये जाने से उक्त ख.नं. 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर भूमि अवाप्ति कर मुआवजा निर्धारण रोड़ पर 100 से 200 मीटर तक मानते हुए मुआवजा का निर्धारण किया गया, वो विधिक भूल है तथा प्रार्थीगण के हितों पर कुठाराघात हुआ है अतः खसरा नम्बर 24320 की भूमि रोड़ पर 0 से 100 मीटर सीमा तक डी.एल.सी. दर के अनुसार अवाप्त भूमि का मुआवजा निर्धारण कराने के अधिकारी है।

प्रार्थीगण ने ख.नं. 2420 की भूमि वर्तमान मे सिंचित प्रकृति होना कहा, इस बाबत् सम्वत् 2069 से 2072 तक की खसरा गिरदावरी की प्रतिलिपि पेश की गई। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2070 ( रायड़ा 10 बीघा ) व 2071 ( गेहूँ, जीरा व रायड़ा ) रबी फसल के रूप में जिन्स का इन्द्राज किया गया, इसके अलावा भूमि सिंचित होने के अन्य कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं हुए। अतः मात्र दो वर्ष की गिरदावरी के आधार पर भूमि की प्रकृति सिंचित होने के प्रमाण पर्याप्त नहीं है अतः प्रार्थी का यह कथन मानने योग्य नहीं है कि प्रार्थीगण की

कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

खसरा नं. 2420 रकबा 0.9385 हेक्टर भूमि की प्रकृति सिंचित होने से सिंचित दर से मुआवजा निर्धारण किया जाना चाहिए।

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थीगण का आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा ग्राम सिरमण्डी के ख.न. 2420 की भूमि में से 0.9385 हेक्टर भूमि असिंचित अवाप्त की गई उसका मुआवजा निर्धारण राजमार्ग से 0 से 100 मीटर की दूरी तक डी.एल.सी. दर के आधार पर किया जाने का आदेश दिया जाता है। पक्षकारान अपना अपना खर्च वहन करे। आदेश की प्रति अप्रार्थी सं0 1 व 2 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हो।

( हिमांशु गुप्ता )
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं जिलामजिस्ट्रेट जोधपुर
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर

यह पंचाट आज दिनांक 03.07.2023 को लिखाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

( हिमांशु गुप्ता )
आर्बीट्रेटर
जिला कलक्टर एवं ज़िलामजिस्ट्रेट जोधपुर
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट
जोधपुर